आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

शस्त्र अपीलवाद संख्या–211/2022

सुमेर राय, पिता–अच्युतानंद राय।

बनाम्

बिहार सरकार।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

अपीलकर्त्ता की तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, श्री सदन शरण एवं श्री प्रदीप कुमार।

सरकार के तरफ से :– विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण।

आदेश

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
01.11.2024 **20.11.2024**	**प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–454 / शस्त्र, दिनांक–12.10.2019 के** विरूद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्त्ता के नाम से निर्गत **शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०–632/2004** को रद्द कर दी गई है। **संक्षेप मे विवरण यह है कि** श्री सुमेर राय, पिता–श्री अच्युदानंद, ग्राम–अमरपुर, थाना–दरौली, जिला–सीवान को शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०–**632/2004 (NB Bore Rifle),** जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा निर्गत किया गया था। इसी बीच आयुध अधिनियम, 2016 के प्रभावी होने के फलस्वरूप गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना के पत्रांक–7584, दिनांक–29.08.2018 एवं पत्रांक–8461, दिनांक–26.09.2018 एवं पत्रांक–434, दिनांक–15.01.2019 द्वारा दिनांक–01.04.2016 के पूर्व निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र हेतु Unique Identification Number (UIN) Generate कर NDAL/ALIS Portal पर दिनांक–31.03.2019 तक अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करने हेतु सीवान जिलान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को आम सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त निदेश का अनुपालन करने का निदेश दिया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक उक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार का निदेश के अनुपालन में वैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति दिनांक–01.04.2019 के प्रभाव से Invalid हो जाने के निदेश के क्रम में जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा	

WEB COPY NOT OFFICIAL

अपीलकर्त्ता की शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्त्ता द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति को दिनांक–31.12.2021 तक के लिए नवीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक–16.11.2021 को शस्त्र अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु अपीलकर्त्ता द्वारा संबंधित कार्यालय में चालान जमा किया गया था। दिनांक–10.10.2022 को अपीलकर्त्ता को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि जिला दण्डाधिकारी, सीवान के आदेश ज्ञापांक–454/शस्त्र दिनांक–12.10.2019 द्वारा NDAL/ALIS Portal पर Unique Identification Number (UIN) Generate नहीं कराये जाने के आरोप के कारण अपीलकर्त्ता की शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न हीं शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व अपीलकर्त्ता को कोई नोटिस ही दिया गया है। उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटियुक्त है, अतएव उसे निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

अपर लोक अभियोजक, सारण द्वारा जिला दंडाधिकारी, सीवान के पारित आदेश को विधिमान्य, उचित एवं upheld करने योग्य बताया गया। उनके द्वारा आगे कहा गया कि जिला दंडाधिकारी, सीवान द्वारा पारित आदेश आयुध अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत है, ऐसी स्थिति में इस स्तर से उक्त आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही हैं।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलील, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सीवान के निदेश का अनुपालन नहीं करने एवं निर्धारित तिथि तक UIN Generate नहीं करने के कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द की गई है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें दिनांक–10.10.2022 को शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है और उसी दिन उनके द्वारा प्रश्नगत आदेश का नकल भी प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द होने के

WEB COPY NOT OFFICIAL

पश्चात् प्रश्नगत आदेश के आलोक में अपना **शस्त्र सरकारी मालखाना** मे जमा कराने का कोई साक्ष्य/कागजात अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से अपीलकर्त्ता का यह आचरण शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्तों के विपरीत है। जहाँ तक NDAL Portal पर UIN Generate नहीं होने का प्रश्न है, तो अपीलकर्त्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह विश्वास किया जा सके की अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कराये गये आम–सूचना में विहित प्रक्रिया के अनुपालन में अपीलकर्त्ता ने तत्परता दिखाई है। यह स्पष्ट है कि **आयुध अधिनियम, 1959** एवं **आयुध नियमावली, 2016** में निहित प्रावधान–15 (2) के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार दिनांक–01.04.2019 के प्रभाव से वैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वतः अविधिमान्य हो गये, जिनसे संबंधित प्रविष्टी NDAL Portal पर नहीं कराया जा सका। इसी क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं०–D.O No-V-11026/133/2017-Arms दिनांक–12.07.2019 के द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को प्रेषित पत्र का मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"I invite attention to Rule 15 (2) of the Arms Rules, 2016 (Licence invalid if not on NDAL). Consequently, all the arms licences not borne on NDAL Portal will be considered invalid being without UIN and may potentially invite adverse consequences, which need to be obviated." भारत सरकार के निदेश के अनुपालन में जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा अपने जिले से निर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का UIN Generate कर NDAL/ALIS Portal पर दिनांक–31.03.2019 तक प्रविष्टि करने हेतु निदेश दिया गया था। इतना ही नहीं भारत सरकार, गृह मंत्रालय के उपरोक्त पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से निम्नांकित सूचना (PR.9761 (District) 2018-19) प्रकाशित करायी गयी थी ;

''सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र सं०–7/अनु०–10–02/2013 खण्ड–II गृ० आ०–7584 दिनांक–29.08.2018 के आलोक में दिनांक–31.03.2018 तक बिना UIN वाले सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि आयुध नियम, 2016 के

WEB COPY NOT OFFICIAL

नियम–15 (2) में शस्त्र अनुज्ञप्ति की **Data** प्रविष्टि हेतु पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि–31.03.2018 में संशोधन करते हुए इसे दिनांक–31.03.2019 तक विस्तारित किया गया है।

अनुज्ञप्तिधारियों का **Database** तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये है, जो निम्नांकित हैः–

Form-1–सीवान जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-2–सीवान जिला से बाहर की अनुज्ञप्ति, जो सीवान जिला के ओ०डी० पंजी में पंजीकृत है, के अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-3–**Sporting Weapon** के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-4–संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से भरकर दिनांक–31.03.2019 से कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व निश्चित रूप से जिला शस्त्र शाखा, सीवान में जमा कर देना है एवं पावती रसीद प्राप्त कर लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ फैक्स/ई–मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी, बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप से ही प्राप्त की जाएगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का **Database** तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक–01.04.2019 से अवैध मानी जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं पूर्णतया जिम्मेवार होंगे।''

भारत सरकार के निदेश के अनुपालन में जिला दण्डाधिकारी, सीवान द्वारा अपने जिले से निर्गत सभी प्रकार के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र हेतु UIN Generate कर NDAL/ALIS Portal पर दिनांक–31.03.2019 तक प्रविष्टि करने हेतु वांछित सूचना विहित प्रपत्र में भरकर समर्पित करने का निदेश दिया गया था। इसी क्रम में उनके द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इस आशय की सूचना भी प्रकाशित करायी गयी थी। अपीलकर्त्ता का यह दावा है कि उन्हें ससमय सूचना नहीं दी गयी है, जिसके कारण उनके द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया, सर्वथा अमान्य प्रतीत होता है। जहाँ

WEB COPY NOT OFFICIAL

तक अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह दावा करना कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, यह दावा भी पूरी तरह विश्वसनीय एवं स्वीकारणीय नहीं है, क्योंकि जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उसके अनुसरण में गृह विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्रों में अंकित निदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गयी है एवं कार्रवाई के पूर्व सभी मान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जिला के शस्त्रधारियों को विभिन्न माध्यमों से यथा प्रिंट मीडिया के द्वारा सूचना दी गई। तत्पश्चात् ही अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सूचना में निहित निदेश का अनुपालन निर्धारित तिथि यथा दिनांक–31.03.2019 तक नहीं किये जाने एवं दिनांक–01.04.2019 के प्रभाव से अनुज्ञप्ति स्वतः अविधिमान्य हो जाने संबंधी स्पष्ट प्रावधान के अनुपालन में किया गया है। ठीक इसके विपरीत शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द होने के पश्चात भी जिला दण्डाधिकारी, सीवान के आदेश के आलोक में अपना शस्त्र सरकारी मालखाना में जमा नही कराकर शस्त्र को अपने पास रखना अपीलकर्त्ता के नियम विरूद्ध आचरण को दर्शाता है, जो कि शस्त्र अधिनियम–1959 में वर्णित शर्तो के विपरीत है। उपर्युक्त वर्णित स्थिति से यह स्वतः स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता स्वयं ही अपने शस्त्र का ससमय UIN Generate नहीं कराने के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि अपीलकर्त्ता द्वारा आम–सूचना में निहित निदेश का अनुपालन के संबंध में शस्त्र संबंधी सूचना विहित प्रपत्र में ससमय समर्पित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला दण्डाधिकारी, सीवान के द्वारा पारित आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी ऐसे किसी त्रुटि को इंगित नहीं किया जा सका है, जिससे जिला दण्डाधिकारी, सीवान के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सकें।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से जिला दण्डाधिकारी सीवान द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–454/शस्त्र, दिनांक–12.10.2019 को यथावत् (Upheld) रखा जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत अपील आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL